

प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

सचिव,
संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्रांक—प्राशिप/परिषद/2020/6029

लखनऊ दिनांक— 30/12/2020

विषय— नवस्थापित डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाओं को प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि अपहरिहार्य कारणोंवश नवस्थापित डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाओं को प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित करने वाली निम्न संस्थाओं को परिषद से सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान नहीं की गयी थी—

क्र०	संस्था कोड एवं संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	ई०डब्ल्यू० एस० सहित प्रवेश क्षमता	ई०मेल० आई०डी० एवं मोबाइल नं०
1	2157. एस०बी०एस० कॉलेज ऑफ फार्मसी, जलालपुर, भुजगी अम्बेडकर नगर।	डिप्लोमा इन फार्मसी	60	66	sbscollegepharmacy@gmail.com 9161702006
2	4183. विद्यावती देवी कॉलेज ऑफ फार्मसी, दामोदरपुर देवरिया।	डिप्लोमा इन फार्मसी	60	66	vidyawatidevicollegeofpharmacy@gmail.com 9415581418
3	4184. आदित्य विक्रम सिंह फार्मसी कॉलेज, आजमगढ़	डिप्लोमा इन फार्मसी	60	66	devtyagi028@gmail.com 9452236074 9557868157

उपरोक्त प्रकरण दिनांक 28-12-2020 को अग्रिम, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में आहूत सम्बद्धता समिति की बैठक में समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, जिसमें सम्बद्धता समिति द्वारा सर्वसम्मति से उपरोक्त संस्थाओं को सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में आपसे अनुरोध है कि प्रश्नगत संस्थाओं को सत्र 2020-21 हेतु आयोजित प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित करने की कृपा करें।

भवदीया,

30/12/2020

o/c (रश्मि सोनकर)
संयुक्त सचिव

तददिनांक— 30/12/2020

पू०सं०— प्राशिप/परिषद/2020/6030-35

प्रतिनिधि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ को अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० शासन को विशेष सचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० कानपुर।
4. निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र० कानपुर।
5. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, पूर्वी क्षेत्र/मध्य क्षेत्र।
6. प्रधानाचार्य/निदेशक, उपरोक्त संस्थाएं।

प्रतिनिधि
30/12/2020

o/c (रश्मि सोनकर)
संयुक्त सचिव
30/12/2020

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/6311

लखनऊ: दिनांक: 11-01-2021

:-कार्यालय ज्ञाप:-

मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका एवं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु नवआवेदित डिप्लोमा फार्मसी संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 28-12-2020 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका एवं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को दिये अनुमोदन के अनुक्रम में विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-3 में डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली नई संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

“समिति द्वारा प्रकरण पर विचार-विमर्श किया गया एवं निम्नलिखित शर्तों के दृष्टिगत संस्था को सत्र 2020-21 से परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।”


दिनांक 28-12-2020 को आहूत सम्बद्धता समिति की बैठक में दिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र0 सं0	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	2157	एस0बी0एस0 कॉलेज ऑफ फार्मसी, जलालपुर, भुजगी, अम्बेडकर नगर।	डिप्लोमा इन फार्मसी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी0 पाठ्यक्रमों हेतु रू0 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रू0- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0- 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

Cell

		<ul style="list-style-type: none"> Regulations, 2014. Education Regulations, 1991 / 2020 for the Diploma course in Pharmacy. Salary of teaching faculty is not as per regulation. <p>It was further decided to instruct the institution to submit the compliance with documentary evidences (form 16) of each faculty, appointment of qualified principal, appointment of required number of qualified faculty as per statutory provisions.</p>
371 EC/373 UP-739/ 2022-2023 Sbs College Of Pharmacy Newada Road, Bhujgi, AMBEDKAR NAGAR, 224149 PCI - 3374 B.Pharm D.Pharm	D.Pharm The Secretary Uttar Pradesh Board of Technical Education Guru Govind Singh Marg Lucknow Uttar Pradesh  PRINCIPAL S.B.S. College Of Pharmacy Bhujgi-Ambekar Nagar, U.P.	D.Pharm Grant approval from 2020-2021 to 2022-2023 academic session for 60 admissions u/s 12 of the Pharmacy Act. B.Pharm It was noted that institution has failed to submit consent of affiliation of Examining Authority and NOC of State Government for B.Pharm course. In view of above it was decided to reject the application for B.Pharm course.
371 EC/374 UP-740/ 2022-2023 School Of Pharmaceutical Sciences IIMT University Campus, Mawana Road, O Pocket Ganga Nagar, MEERUT, 250001 PCI - 3273 D.Pharm	D.Pharm The Registrar IIMT College of Medical Sciences IIMT University Pocket O Ganga Nagar Mawana Road Meerut	D.Pharm Extend approval upto 2022-2023 academic session for D.Pharm course. Reduce intake from 60 to 40 from 2022-2023 academic session for D.Pharm course as the institution has failed to appoint qualified faculty, disburse salary of teaching faculty and comply with the prescribed statutory provisions of - <ul style="list-style-type: none"> Minimum Qualification for Teachers in Pharmacy Institutions Regulations, 2014. Education Regulations, 1991 / 2020 for the Diploma course in Pharmacy.